नया आगाज़

आज समय की माँग पर
आगाज़ नया इक होगा
निरंतर योग्यता के निर्णय से
परिणाम आकलन होगा।

परिवर्तन नियम जीवन का
नियम अब नया बनेगा
अब परिणामों के भय से
नहीं बालक कोई डरेगा

निरंतर योग्यता के निर्णय से
परिणाम आकलन होगा।

बदले शिक्षा का स्वरूप
नई खिले आशा की धूप
अब किसी कोमल-से मन पर
कोई बोझ न होगा

निरंतर योग्यता के निर्णय से
परिणाम आकलन होगा।
नई राह पर चलकर मंज़िल को हमें पाना है
इस नए प्रयास को हमने सफल बनाना है
बेहतर शिक्षा से बदले देश, ऐसे इसे अपनाए
शिक्षक, शिक्षा और शिक्षित
बस आगे बढते जाएँ
बस आगे बढते जाएँ
बस आगे बढते जाएँ.....

www.FirstRanker.com www.FirstRanker.com

गृहकार्य के विकल्प

(कक्षा I - V)

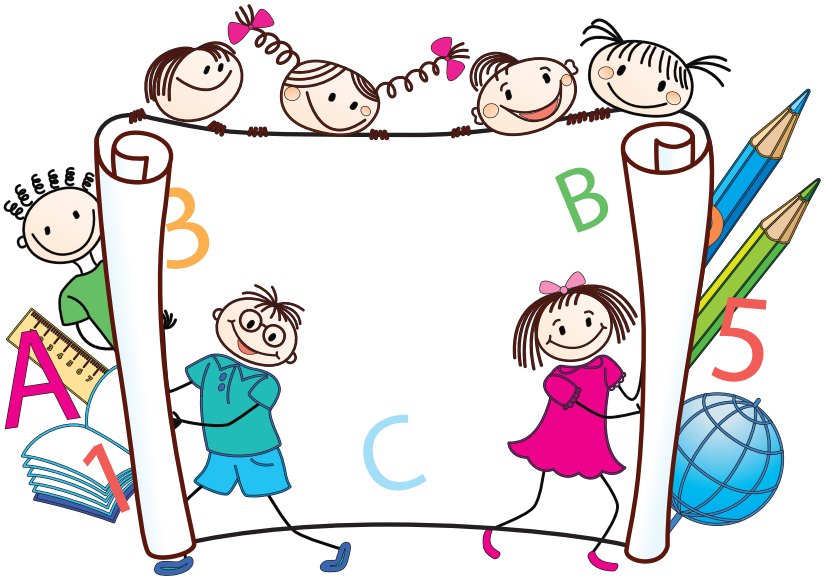

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

www.FirstRanker.com

www.FirstRanker.com www.FirstRanker.com

गृहकार्य के विकल्प

कक्षा I to V

मूल्य :

प्रथम संस्करण 2015, सीबीएसई, दिल्ली

प्रतियाँ :

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, किसी ऐसे यंत्र में भंडारण, जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकार्डिंग या किसी और ढंग से प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

इस प्रकाशन में प्रयुक्त चित्रों को उपलब्ध कराने के लिए हम सचदेवा पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली के योगदान के प्रति आभारी हैं।

प्रकाशक : **सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड**
शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110301

डिजाइन : **मल्टी ग्राफिक्स**, 8A/101, डब्ल्यू. ई. ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110005
फोन : 011-25783846

मुद्रण :

www.FirstRanker.com

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1][प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता]
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

1. संविधान (छयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (12.12.2002) सें अंत: स्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the[2] [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of six and forteen years.

1. Ins. by the constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002 S.4 (w.e.f. 12.12.2002)

प्राक्कथन

यह प्रकाशन, 'गृहकार्य के विकल्प' मूलतः 2004 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए रचनात्मक, रोचक गतिविधियों से भरपूर गृहकार्य के विकल्पों की शृंखला है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों को नीरस दैनिक गृहकार्य से मुक्ति दिलाना है, जो घर में उनका वह बहुमूल्य समय ले लेता है, जिस को विभिन्न अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगाया जा सकता है। इन वैकल्पिक गतिविधियों को ऐसे बनाया गया है, जो उनके जीवन कौशल और मूल्यों का विकास करने में सहायक हों ताकि समाज का एक जिम्मेदार, जागरूक और सुविज्ञ नागरिक बनने हेतु एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो सके।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के शैक्षिक दर्शन, निर्देश एवं विषय वस्तु से प्राप्त मनोबल एवं मार्गदर्शन के आधार पर, इसमें निहित उन सभी विविध, उपयुक्त एवं प्रासंगिक गतिविधियों का समावेश कर पुनः प्रकाशित किया है, जो वर्तमान प्राथमिक स्कूली छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। मैं लेखकों एवं संपादकों की मूल टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रचनात्मक गतिविधियों को तैयार करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। डॉ. साधना पाराशर, निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण व नवाचार) का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने इसमें संशोधन की अभिकल्पना की। समीक्षा समूह ने इस प्रकाशन में वर्तमान मुद्दों पर आधारित और भी अधिक गतिविधियों और दिशा निर्देशों को शामिल किया है। मैं डॉ. रवीजा प्रकाश, श्रीमती राजबाला, श्रीमती मीनाक्षी ढींगरा और श्रीमती भारती शर्मा को इस सृजनात्मक योगदान और मूल्य संवर्धन के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती सुगंध शर्मा, अपर निदेशक, केमाशिबो ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में अपना भरपूर योगदान दिया। जो भी व्यक्ति इस परियोजना में सम्मिलित हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझे उम्मीद है कि स्कूल इस प्रकाशन को उपयोगी समझेंगे और अपने अनुभव के आधार पर इन गतिविधियों को और भी समृद्ध करेंगे।

विनीत जोशी
अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

www.FirstRanker.com www.FirstRanker.com

आभार

परामर्श

- श्री विनीत जोशी, अध्यक्ष, केमाशिबो
- डा. साधना पाराशर, आचार्य एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार) केमाशिबो

सामग्री निर्माण एवं संपादन

- डॉ. रवीजा प्रकाश
- श्रीमती राजबाला
- श्रीमती मीनाक्षी ढींगरा
- श्रीमती भारती शर्मा

संपादन

- श्रीमती सुगंध शर्मा, अपर निदेशक, केमाशिबो
- श्रीमती मंजु गुप्ता

समन्वयन

- श्रीमती सुगंध शर्मा, अपर निदेशक, केमाशिबो

www.FirstRanker.com

www.FirstRanker.com www.FirstRanker.com

विषय वस्तु

		पृष्ठ
प्राक्कथन		
आभार		1
गृहकार्य के विकल्प क्यों?		
1. मेरा परिचय	कक्षा I	6
2. मेरा परिवार तथा मेरा घर	कक्षा II	29
3. मेरा विद्यालय	कक्षा II	50
4. मेरा पड़ोस	कक्षा III	66
5. मेरा शहर	कक्षा III	82
6. मेरा राज्य	कक्षा IV	104
7. मेरा देश	कक्षा V	118

www.FirstRanker.com

CBSE
CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION
KNOW - AS YOU GROW

गृहकार्य के विकल्प क्यों?

शिक्षा के उद्देश्य :

शिक्षा बच्चों के समग्र विकास की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, रचनात्मक और भाषाई बनाने में ज्ञान और कौशल से बच्चों का पोषण, संवर्धन और सशक्तीकरण किया जाता है, जो उसे हर क्षेत्र में विकसित करते हैं। जीवंत वातावरण प्रदान करके, विद्यालय अपने छात्रों को बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करने और बाहरी चुनौतियों का सरलता व आत्मविश्वास से सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

वर्तमान परिदृश्य :

विश्व का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य बच्चे के ही इर्द-गिर्द घूमता है जो आत्म शिक्षित है, एक आविष्कारक है, जो अपने आप खोज करता है और सीखता है। इस संदर्भ में, शिक्षक की भूमिका एक सुकारक के रूप में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ वह बच्चे को दृश्य-श्रव्य, गतिसंवेदी और श्रवण गतिविधियों द्वारा एक बहु-आयामी दृष्टिकोण सीखने में सहायता करता है।

अनुकूलन अधिगम :

कुछ क्षेत्रों में अभी भी रटंत पद्धति से सीखने पर ज़ोर दिया जाता है। बहुत सारे विद्यालय कक्षा में शिक्षण के पुराने तरीके को सही मानते हैं, जिसमें स्वतंत्र सोच बहुत कम होती है। सहपाठियों में प्रतियोगिता और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना भी एक अन्य कारक है जो सीखने के लिए एक निश्चित तरीके को संचालित करता हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरावृत्ति गृहकार्य जैसे पुराने तरीकों को ही सही मानते हैं ताकि छात्र परीक्षा के समय उन्हें याद रखें और औपचारिक परीक्षा दे सकें। मानव मस्तिष्क के विकास और पोषण पर जरा सा भी अथवा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता।

गृहकार्य का मिथक :

गृहकार्य हमेशा से ही कक्षा-कार्य का विस्तार रहा है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, गृहकार्य उसी की पुनरावृत्ति है। सही मायने में गृहकार्य ने रटंत पद्धति से पढ़ने लिखने और याद करने की आवश्यकता को पूरा कर दिया है। यह एक ऐसा साधन रहा है जो परीक्षा के समय बच्चों को याद करके परीक्षा देने, बल्कि कई बार अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। छात्र बाहरी दुनिया से अपने-आप को जोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास अपने-आप अवलोकन करने और खोजने के लिए समय ही नहीं होता। बच्चे को प्रदूषण और उसके प्रभाव की जानकारी तो होती है, परन्तु वह अपने आसपास के वातावरण से इस समस्या को जोड़ने में अक्षम होता है। उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके तो उसने सीख लिये हैं किन्तु अपने घर में इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अधिगम प्रक्रिया का पूरक बनने के स्थान पर गृहकार्य एक बोझ बनता जा रहा है।

आवश्यकता :

इस लिए आवश्यकता है उन विकल्पों की जो कक्षा-कार्य तथा स्वयं सीखने को ओर अधिक बढ़ावा देंगे ताकि

वह एक जीवन कौशल बन जाए। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं – अनुभव द्वारा, कुछ करके अथवा बना कर परीक्षण द्वारा, पढ़कर, सर्वे द्वारा, चर्चा द्वारा, सोचकर, अपनी बातों को बोलकर, स्पष्ट करके, इत्यादि। गृहकार्य के विकल्पों का उद्देश्य बच्चों का ध्यान केन्द्रित करके, उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनुभवों, अनुभूतियों एवं चुनौतियों को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करना है। इस पुस्तक का पुनर्संकलन करते समय देश भर के विभिन्न विद्यालयों से आए सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। इस कार्य को संपन्न करते समय एन.सी. एफ. 2005 की निम्नांकित मार्ग दर्शिकाओं को भी ध्यान में रखा गया है:

- ☆ विद्यालय से बाहर की दुनिया से जीवन को जोड़ना।
- ☆ यह सुनिश्चित करना कि सीखने की प्रक्रिया रटन विधि से दूर हट जाए।
- ☆ पाठ्यचर्या को इतना समृद्ध बनाना कि वह पाठ्यपुस्तकों से परे जा सके।
- ☆ ज्ञान निर्माण पर जोर देना।

इस पुस्तक में पारस्परिक विचार विमर्श का तरीका अपनाया गया है एवं अत्यन्त सरल भाषा में है ताकि बच्चे स्वयं समझ सकें। यह पुस्तक समाचार पत्र पढ़ने को बढ़ावा देती है।

केन्द्रबिन्दु :

निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है–मैं/मेरा परिवार तथा घर/मेरा स्कूल/मेरा पड़ोस/मेरा शहर/मेरा राज्य/मेरा देश। इस पुस्तक में समाकलित उपागम को अपनाया गया है। इस पुस्तक में दर्शायी गई गतिविधियां न केवल वैज्ञानिक सोच वरन् संख्यात्मक एवं भाषायी योग्यताओं के विकास का भी ध्यान रखेंगी। जिन व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों पर बच्चों को कार्य करने की आवश्यकता है, वे छात्रों के आत्मविश्वास एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं को बढ़ाएंगी।

अध्यापक के रूप में अपने लम्बे कार्यकाल के आधार पर, लेखकों का यह दृढ़ विश्वास है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी की आयु सर्वाधिक संवेदनशील होती है और इस स्तर पर सीखे गए तरीकों एवं ज्ञान की छाप भविष्य के वर्षों में शिक्षा को प्रभावित करती है। प्रत्येक खण्ड के प्रारम्भ में वेब चार्टों में पर्यावरण विज्ञान के उन मुद्दों की पहचान की गई है जिन्हें गतिविधियों के लिए चुना गया है। गणित एवं भाषा से संबंधित तत्वों की पहचान करने के लिए संयुक्त प्रयास किया गया है। गतिविधियों को तैयार करने के लिए इनका समावेश किया गया है। प्रत्येक लिखित कौशलों को भी प्रत्येक गतिविधि में सम्मिलित किया गया है:

1. **मूल कौशल :**
   - ☆ हस्त–नेत्र समन्वय
   - ☆ सकल मोटर कौशल
   - ☆ कला एवं शिल्प
   - ☆ भाषा प्रयोग
   - ☆ संचार
   - ☆ मानसिक, तार्किक एवं गणितीय व्याख्या एवं गणना ।

2. **अध्ययन कौशल :**

- ☆ उपयुक्त सामग्री का संग्रहण, समूहीकरण, वर्गीकरण एवं चुनाव
- ☆ प्रयोग, हस्त कौशल का विकास
- ☆ सर्वेक्षण
- ☆ ग्राफ अभिव्यक्ति, रेखाचित्रण एवं रंग भरना।
- ☆ मानचित्र बनाना एवं प्रयोग करना
- ☆ पुस्तक का इस्तेमाल
- ☆ पुस्तकालय का प्रयोग
- ☆ समय और दूरी का अनुमान लगाना
- ☆ चित्रों, समाचार पत्र, टी.वी. की सूचना का प्रयोग

3. **सामाजिक कौशल :**

- ☆ घर में सहायता करना
- ☆ चीजों की देखभाल करना
- ☆ पर्यावरण संबंधी जागरूकता
- ☆ प्रश्न पूछना एवं जानने की जिज्ञासा
- ☆ स्वज्ञान एवं संचेतना
- ☆ आस-पास के लोगों के साथ सहयोग / सहकारिता

4. **सृजनात्मक कौशल :**

- ☆ गृहकार्य गतिविधियों को स्वयं बनाना
- ☆ खेलना, खिलौने बनाना, खाना बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना
- ☆ संगीत, नृत्य, गायन एवं नाट्य मंचन
- ☆ कढ़ाई, सिलाई, कठपुतली बनाना।

यह योजना छात्रों में निम्न विशेषताओं के विकास के लिए कार्य करती हैं-

1. **संतुलित :** सबकी व्यक्तिगत भलाई की प्राप्ति के लिए वे बौद्धिक, शारीरिक एवं भावनात्मक संतुलन के महत्त्व को मानते हैं।

2. **संचारक :** वे अवधारणाओं एवं सूचनाओं को पूरे विश्वास के साथ रचनात्मक तरीके एवं विभिन्न विधियों के माध्यम से समझते हैं तथा अभिव्यक्त करते हैं।

3. **जिज्ञासु :** अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हुए, उन सभी योग्यताओं को प्राप्त करते हैं जिनसे जांच पड़ताल एवं शोध किया जा सके ताकि वे आजीवन शिक्षु बन सकें।

4. **संवेदनशील :** वे दूसरों की आवश्यकताओं तथा भावनाओं के प्रति दया, श्रद्धा एवं सहानुभूति की भावना दर्शाते हैं। दूसरों के जीवन एवं पर्यावरण में सकारात्मक अंतर पैदा करने के लिए सेवा हेतु उन की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता होती है।

5. **नैतिक :** वे निष्ठा एवं ईमानदारी से, एवं दृढ़ न्याय की भावना, से तथा सभी की प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान से कार्य करते हैं और अपने कार्यों एवं परिणामों का दायित्व स्वयं स्वीकार करते हैं।

6. **आत्मावलोकन :** वे अपने ज्ञान तथा अनुभव पर वैचारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपने गुणों एवं कमजोरियों को समझते हैं और अपने सर्वांगिक विकास के लिए उनका मूल्यांकन कर सकते हैं।

7. **मुक्त विचारशील :** वे नए एवं विभिन्न विचारों व मतों को ग्रहण करते हैं।

8. **खतरा मोल लेने वाले :** वे अनजानी एवं अनिश्चित परिस्थितियों में पूर्व-सोच के साथ आगे बढ़ते हैं एवं नई भूमिकाओं, विचारों तथा रणनीतियों को खोजने के लिए उत्साहित रहते हैं।

9. **चिन्तनशील :** वे जटिल समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए समीक्षात्मक एवं कलात्मक रूप से विचार करते हैं एवं सोच समझ कर उचित निर्णय लेते हैं।

10. **सुविज्ञ व्यक्ति :** वे नए विचार, धारणाओं एवं विषयों को खोजते हैं एवं उनके विषय में गूढ़ ज्ञान एवं समझ प्राप्त करते हैं।

ये गतिविधियाँ केवल सुझावात्मक हैं, सम्पूर्ण नहीं। अध्यापक एवं अभिभावक इनमें और नई तथा विशिष्ट स्थानीय गतिविधियां जोड़ सकते हैं। जब बच्चे ये गतिविधियाँ करेंगें तो वे कई और सुझाव देंगें, जिन्हें सम्मिलित करने में हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अन्तिम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका अध्यापक एवं मार्ग दर्शक की होती है। शिक्षार्थी की आवश्यकताओं एवं स्तर के अनुसार इन गतिविधियों का चयन, सुधार व योजना तो अध्यापकों का ही कार्य है। और हमें विश्वास है कि समन्वित रूप से यह प्रयास सर्वांगीण शिक्षा को लम्बे समय तक आगे ले जाने में सहायक होगा।

स्कूलों की भूमिका :

आशा की जाती है कि स्कूल इस दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा संबंधित शिक्षकों की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। निम्न सुझाव दिए गए हैं:

- ☆ कार्य विधि का खाका बनाएं
- ☆ प्रत्येक पाठ अथवा अंश की पाठ योजना बनाएं
- ☆ समय एवं उपलब्ध सुझावों के आधार पर योजनाएं बनाएं
- ☆ आवश्यक संसाधनों को तैयार कीजिए

- ☆ अभिभावकों को निमन्त्रित करें तथा विषयों पर उन से विचार विमर्श करें
- ☆ अभिभावक व परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकते है, इस के लिए दिशा निर्देश दीजिए।

अभिभावकों की भूमिका :

इस योजना में अभिभावकों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। उन्हें यह समझना चाहिए कि यह समस्त योजना उनके बच्चों की समग्र शिक्षा हेतु बनायी गयी है। अत: उन्हें कुछ मूल्यांकन समय अपने बच्चों के साथ उनकी योग्यताओं को बढ़ाने में करना चाहिए। उन्हें अध्यापकों के सम्पर्क में रहना चाहिए ताकि कौशल सीखते समय बच्चों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें जानकारी दे सकें। अपने बच्चों को इन कौशलों को उचित स्थान एवं उचित तरीके से प्रयोग करना सिखाने के लिए, उन्हें उत्प्रेरक का कार्य करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इस प्रकार की अप्रत्याशित शिक्षा का प्रभाव लम्बे समय तक रहता है और उचित तौर-तरीकों को सीखने में मदद करता है।

निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है :

- ☆ अभ्यास केवल मनोबल बढ़ाने वाले होने चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य न दिया जाए जो विषाद अथवा दया की भावना की ओर ले जाए।
- ☆ अभ्यास प्रतिस्पर्द्धा की ओर ले जाने वाले नहीं होने चाहिए वरन् बच्चों में छुपे हुए गुणों का वर्धन करने वाले होने चाहिए।
- ☆ अपनत्व की भावना को बढ़ाने के लिए अभिभावक संघ की भागीदारी आवश्यक है।
- ☆ जो भी कार्य किया जा रहा हो उसमें लगाव व जुड़ने की भावना अभ्यास द्वारा विकसित होनी चाहिए।
- ☆ जब भी कोई अच्छा काम किया जाए, तो बच्चों की प्रशंसा होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को उनकी गलती के लिए दण्ड देने के बजाए, सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए एवं सुधार हेतु सहायता दी जानी चाहिए।
- ☆ इस पूरी योजना का उद्देश्य नई पीढ़ी को आत्मविश्वासी, सक्षम और सहयोगी नागरिक बनने में सहायता करना है। बोर्ड उम्मीद करता है कि सभी हितधारक राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में सक्रियता से जुड़ेंगे।
- ☆ इन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से गृहकार्य के रूप में दिया जा सकता है और इन्हें मान्य एवं उत्तरदायी बनाने के लिए विद्यालय विद्यालय/शिक्षक एक योजना/प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएं।